Office of the Accountant General (A&E), Kerala,
P.B.No.5607, M.G.Road, Thiruvananthapuram-695039,
Phone: 0471-2330311, Fax: 0471-2330242.

P19/II/DRSSA-103/UP   Dated: 14/11/2017

To

All District/Sub Treasury Officers

Sir,

Sub: Payment of Dearness Allowance at the increased rate with effect from 01/01/2017 to Uttar Pradesh State Employees and those employees of aided educational & technical educational institutions and urban local bodies and work charged employees reg.

Ref: 1.SSA No.Pension Miscellaneous/LID-7245,4985,16349 dated 06/09/2017 of Principal Accountant General (A&E)-II, Allahabad,Uttar Pradesh.
2.Notification No. 3/2017-P.C.-1-465/X-2017-8(M)/2016 dated 13/07/2017 of Finance (Pay Commission) Section-1, Government of Uttar Pradesh.

I am to enclose herewith copies of Government orders issued by the Government of Uttar Pradesh regarding Payment of Dearness Allowance at the increased rate with effect from 01/01/2017 to Uttar Pradesh State Employees and those employees of aided educational & technical educational institutions and urban local bodies and work charged employees forwarded to this office with SSA by Principal Accountant General (A&E)-II,Uttar Pradesh, in the reference cited. The same is being placed in the official website of this office (www.agker.cag.gov.in) under the link :- ***"Treasury endorsement of orders for other states"***. A copy of the same may be exhibited on the notice board of the treasury.

Yours faithfully,

14/11/17
Sr. Accounts Officer

Copy to:-
The Director of Treasuries
Thiruvananthapuram

Sd
Sr. Accounts Officer

PM/2/321/2017-18
20/9/17

कार्यालय महालेखाकार (ले0 व हक0)द्वितीय
20 सरोजनी नायडू मार्ग उ0प्र0 इलाहाबाद
Phones: Off. 2622625-26 Fax; 0532-2624402
पत्रांकः–पेंशन विविध / LID-7245,4985,16349
SSA-DR Dy-115/711

दिनांक 06.09-2017

सेवा में,
AG(A&E) Kerela, Thiruvananthapuram. 695039

विषयः– 1. उ0प्र0 शासन संख्या 301/90–1–2017–53 सं–2002 दिनांक 15.06.2017
2. वित्त (आयोग) अनुभाग–2 शासनादेश संख्या वे0आ0–2–401/2017/ दस–2017 दिनांक 31.05.2017.
3. वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–1 शासनादेश संख्या 3/2017 वे0आ0–1–465/ दस–2017–8(एम) /2016 दिनांक 13.07.2017.

महोदय,

उत्तर प्रदेश वित्त विभाग द्वारा जारी उपरोक्त आदेशों की प्रतियॉ संलग्न कर प्रेषित की जा रही हैं ।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त आदेश अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत समस्त कोषाधिकारियों /पेंशन भुगतान अधिकारियों को प्रसारित कर नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें तथा एक प्रति इस कार्यालय को भी प्रेषित करने की कृपा करें ।

संलग्नः– यथोपरि

भवदीय

लेखाधिकारी / पेंशन विविध

To P19 for n-9

To Hindi cell

PI- Translate to English P1 to P30

DAO/P19

A copy

Office of the Principal Accountant General (A&E) II
20 Sarojini Naidu Marg U.P. Allahabad
Phones : Off. 2622625-26 Fax; 0532-2624402

Letter No :- Pension Miscellaneous/LID – 7245,4985,16349
SSA-DR Dy – 115/711

Dated : 06.09.2017

To

AG (A&E), Kerala, Thiruvananthapuram - 695039

Sub :-
1. Government of U.P. No. 301/90-1-2017-53 No. 2002 dated 15.06.2017
2. Finance (Commission) Section - 2 GO No. P.C.-2-401/2017/X-2017 dated 31.05.2017
3. Finance (Pay Commission) Section-1 GO No. 3/2017 P.C.-1-465/X-2017-8(M)/2016 dated 13.07.2017

Sir,

Copies of the above orders issued by the Department of Finance, Government of U.P. are being sent enclosed herewith.

Therefore, you are requested that the above orders may be circulated to all the Treasury Officers/Pension Payment Officers under your jurisdiction and direction may be given for taking action as per rules and a copy may please be forwarded to this office also.

Enclosed : As above

Yours faithfully,
Sd/-
Accounts Officer/
Pension Miscellaneous

संख्या-3 /2017-वे0आ0-1-465/दस-2017-8(एम)/2016

प्रेषक,

अजय अग्रवाल,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
(2) वित्त अधिकारी/कुल सचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश
(3) शिक्षा निदेशक उच्च शिक्षा/शिक्षा निदेशक (बेसिक/माध्यमिक), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद/लखनऊ।
(4) निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, कानपुर।
(5) निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश, 8वॉ तल, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
(6) समस्त अध्यक्ष, जिला पंचायतें, उत्तर प्रदेश।
(7) निदेशक, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1 लखनऊ दिनांक 13 जुलाई, 2017

विषय- राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, शहरी स्थानीय निकायों तथा कार्य प्रभारित कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का दिनांक 01-01-2017 से बढी हुई दर पर भुगतान।

पठित निम्नलिखित

(1) शासनादेश संख्या-9/2016-वे0आ0-1-1070/दस-2016-08(एम)/2016, दिनांक 23 दिसम्बर, 2016
(2) भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञापन-संख्या-1/3/2017-ई-।।(बी), दिनांक 30 मार्च, 2017

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों पर केन्द्र सरकार द्वारा लिये गये निर्णयानुसार केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को उपर्युक्त क्रम संख्या-2 पर उल्लिखित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय,

1 यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2 इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

व्यय विभाग के कार्यालय ज्ञापन-संख्या-1/3/2017-ई-II(बी), दिनांक 30 मार्च, 2017 द्वारा दिनांक 01-01-2017 से निम्नानुसार संशोधित दरों पर महंगाई भत्ते की स्वीकृति के आदेश जारी किये गये है :-

तिथि जब से देय है	महंगाई भत्ते की मासिक दर
01-01-2017	04 प्रतिशत

2- उपर्युक्त क्रमांक संख्या-1 पर उल्लिखित शासनादेश दिनांक 23 दिसम्बर, 2016 के क्रम में राज्यपाल महोदय प्रदेश के समस्त पूर्णकालिक नियमित राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के नियमित एवं पूर्णकालिक कर्मचारियों, कार्य प्रभारित कर्मचारियों तथा यू0जी0सी0 वेतनमानों में कार्यरत पदधारकों को दिनांक 01-01-2017 से निम्नानुसार संशोधित दरों पर महंगाई भत्ते के भुगतान की स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते है :-

तिथि जब से देय है	महंगाई भत्ते की मासिक दर
01-01-2017	04 प्रतिशत

3- इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ते के संबंध में शासनादेश संख्या-वे0आ0-1-1599/दस-42(एम)/97, दिनांक 23 नवम्बर, 1998 के प्रस्तर-5 में उल्लिखित प्राविधान यथावत लागू रहेंगे।

4- इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ते के आगणन हेतु 'मूल वेतन' का तात्पर्य दिनांक 01-01-2016 से लागू पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में निर्धारित लेबल में आहरित वेतन से है, किन्तु नियत वेतनमान में अनुमन्य वेतन ही मूल वेतन माना जायेगा। परन्तु उक्त के अतिरिक्त अन्य प्रकार के वेतन जैसे विशेष वेतन, सीमान्त विशेष वेतन/भत्ता, वैयक्तिक वेतन, प्रतिनियुक्ति भत्ता/वेतन तथा अन्य भत्ते आदि

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

२०

भले ही वे मूल नियम के अंतर्गत वेतन की परिभाषा में आते हों, को मूल वेतन के साथ सम्मिलित नहीं किया जायेगा। परन्तु प्रैक्टिस बन्दी भत्ता को 'वेतन' का अंश माना जायेगा अर्थात प्रैक्टिस बन्दी भत्ता को महंगाई भत्ता के आगणन हेतु सम्मिलित किया जायेगा।

5- महंगाई भत्ते को एक तरह का विशिष्ट घटक ही माना जायेगा तथा वित्तीय नियम 9(21) के अंतर्गत वेतन नहीं माना जायेगा।

6- इन आदेशों द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ता उन कर्मचारियों/शिक्षकों को भी, जो प्रभावी तिथि को सेवारत थे किन्तु इस शासनादेश के जारी होने के पूर्व जिनकी सेवायें चाहे जिन कारणों से यथा अनुशासनिक कारणों से या त्याग-पत्र, सेवा-निवृत्त, मृत्यु या सेवा-मुक्त करने या स्वीकृत पदों की समाप्ति के कारण समाप्त हो गयी हो, सेवा-समाप्ति, सेवा-निवृत्ति आदि की तिथि तक अनुमन्य होगा।

7- इन आदेशों द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ते की देय धनराशि को निकटतम एक रूपये में पूर्णांकित किया जायेगा अर्थात 50 पैसे और उससे अधिक को उच्चतर रूपये पर पूर्णांकित किया जायेगा और 50 पैसे से कम की राशि को छोड दिया जायेगा।

8- इन आदेशों द्वारा स्वीकृत दरों पर मंहगाई भत्ते की दिनांक 01 जनवरी, 2017 से दिनांक 31 जुलाई, 2017 तक की देय अवशेष धनराशि अधिकारी/कर्मचारी के भविष्य निधि खाते में, अवशेष धनराशि पर देय आयकर एवं सरचार्ज की कटौती की सुविधा के अधीन जमा की जायेगी और इस प्रकार जमा धनराशि को भविष्य निधि खाते में दिनांक 01 अगस्त, 2017 से जमा माना जायेगा और इस तिथि से उक्त धनराशि पर ब्याज भविष्य निधि पर लागू दर से देय होगा इस प्रकार भविष्य निधि खाते में जमा की गई अवशेष धनराशि दिनांक 31 जनवरी, 2018 तक संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के खाते में जमा रहेगी और इसे उन मामलों को छोडकर जिनमें भविष्य निधि नियमों के अंतर्गत अन्तिम प्रत्याहरण (Final Withdrawal) देय हो जाय, उक्त तिथि से पूर्व नहीं निकाला जा सकेगा। इन आदेशों द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ते की बढी हुई धनराशि का भुगतान दिनांक 01 अगस्त, 2017 (माह अगस्त, 2017 का भुगतान दिनांक 01 सितम्बर, 2017 को देय) से नकद किया जायेगा। ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जिनका भविष्य निधि खाता न खुला हो, उनको देय अवशेष की

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

धनराशि को उनके पी0पी0एफ0 खाते में जमा किया जायेगा अथवा नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (एन0एस0सी0) के रूप में दिया जायेगा परन्तु धनराशि के जिस अंश का सर्टिफिकेट उपलब्ध न हो वह उसे नकद दी जायेगी।

9- राष्ट्रीय पेंशन योजना (N.P.S) से आच्छादित कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ते के एरियर की राशि के दस प्रतिशत के बराबर राशि कर्मचारियों के टियर-1 पेंशन खाते में जमा की जायेगी तथा राज्य सरकार/नियोक्ता द्वारा समतुल्य अंशदान टियर-1 पेंशन खाते में जमा किया जायेगा। एरियर की शेष 90 प्रतिशत राशि संबंधित कर्मचारियों को नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (एन0एस0सी0) के रूप में दी जायेगी अथवा उनके पी0पी0एफ0 में जमा किया जायेगा।

10- महंगाई भत्ते की सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा की जाने वाली अवशेष धनराशि से संबंधित बिल/शेड्यूल/चालान पर शासनादेश संख्या-सा-4-12/दस-97-500(1)/97, दिनांक 07-10-1997 में निहित आदेशानुसार निर्धारित मोहर लगायी जानी चाहिए।

11- जिन अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवायें इस शासनादेश के जारी होने की तिथि से पूर्व समाप्त हो गई हो अथवा जो अधिकारी/कर्मचारी अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर दिनांक 01 जनवरी, 2017 से शासनादेश निर्गत होने की तिथि तक सेवानिवृत्त हो गये हों अथवा 06 माह के अन्दर सेवानिवृत्त होने वाले हो, उनको देय महंगाई भत्ते के बकाये की सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान नकद किया जायेगा।

भवदीय,
अजय अग्रवाल
सचिव।

संख्या-3/2017-वे0आ0-1-465(1)/दस-2017, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-1 एवं 2 तथा (आडिट)-1 एवं 2 उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

(2) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

No. 3/2017-P.C.-1-465/X-2017-8(M)/2016

From

Ajay Agrawal
Secretary to Govt of Uttar Pradesh

To

(1) All Heads of the Department & Heads of Main Offices, Uttar Pradesh
(2) Finance Officer/Registrar, All State Universities, Uttar Pradesh
(3) Education Director Higher Education/Education Director (Basic/Middle), Uttar Pradesh, Allahabad/Lucknow.
(4) Director, Technical Education, Uttar Pradesh, Kanpur
(5) Director, Local Body, Uttar Pradesh, 8th floor, Indira Bhawan, Lucknow
(6) All Presidents, District Panchayat, Uttar Pradesh
(7) Director, Panchayati Raj Department, Uttar Pradesh, Lucknow

Finance (Pay Commission) Section-1 **Lucknow, dated 13 July, 2017**

Sub : Payment of Dearness Allowance at the increased rate w.e.f. ~~01.04.2017~~ 01.01.2017 to State employees and employees of Aided Educational and Technical Educational Institutions and Urban Local Bodies and work charged employees.

Ref : (1) GO No. 9/2016/P.C.-1-1070/X-2016-08(M)/2016 dated 23 December, 2016.
(2) OM No.1/3/2017-E-II B dated 30 March, 2017 of Department of Expenditure, Ministry of Finance, Government of India

Sir,

On the above mentioned subject I have been directed to state that as per the decision of the Central Government on the recommendations of the Seventh Pay Commission, Sanction Order has been issued for the payment of dearness allowance to Central Government employees at the following revised rates w.e.f. 01.01.2017 vide OM No.1/3/2017-E-II(B) dated 30 march, 2017 of Department of Expenditure, Ministry of Finance , Government of India, mentioned in above ref. no. 2.

Due date	Monthly rate of Dearness Allowance
01.01.2017	04%

4. In continuation to GO dated 23 December, 2016 mentioned in above ref. no.1, the Honourable Governor is pleased to sanction the payment of Dearness Allowance at the following revised rate w.e.f. 01.01.2017 to State employees and regular & full time employees of Aided Educational and Technical Educational Institutions and Urban Local Bodies and work charged employees and the officials working in UGC pay scales.

Due date	Monthly rate of Dearness Allowance
01.01.2017	04%

5. In respect of the DA sanctioned vide this GO, the provisions mentioned in para 5 of GO No. PC-1-1599/X-42(M)/97 dated 23 November 1998 shall be applicable precisely.

4. For the calculation of Dearness Allowance sanctioned vide this GO 'basic pay' means the pay drawn in the level prescribed in the revised pay matrix applicable w.e.f.01.01.2016, but the pay admissible in fixed scale of pay shall be *treated as basic pay. In addition to the above even if other types of pay, such as special pay, terminal special pay/allowances, personal pay, deputation allowance/pay and other allowances etc. are covered in the definition of pay under fundamental*

rules, it shall not be included with basic pay. But non practicing allowance shall be treated as a part of pay, i.e. non practicing allowance will be included for calculation of Dearness Allowance.

5. Dearness Allowance will be treated as a type of specific factor and shall not be considered as pay under Finance Rule 9(21)

6. Dearness Allowance sanctioned vide these orders shall be admissible upto the date of termination of service, retirement etc. to those employees/teachers, who were in service on the date of effect, but whose services have been terminated before issue of this G.O. either due to disciplinary reasons or reasons such as resignation, retirement, death or dismissal or abolition of sanctioned posts.

10. The payable amount of Dearness Allowance sanctioned vide these orders shall be rounded off to the next complete rupee. i.e. 50 paise or more shall be rounded off to next higher rupee and amount less than 50 paise shall be ignored.

11. The amount of arrear of Dearness Allowance payable from 1st January 2017 to 31st July 2017 at the rates sanctioned vide these Orders shall be credited in the Provident Fund account of the officer/employee subject to the facility of deduction of Income Tax and surcharge payable on the arrear amount and the amount credited as such shall be treated as credited in the PF account w.e.f. 1st August 2017 and interest on the above amount shall be payable at the rate applicable on PF from that date. The arrear amount credited in the PF account as such shall be in the credit of the concerned officer/employee upto 31st January, 2018 and it cannot be withdrawn before the above date, except in those cases, where final withdrawal is due under PF Rules. Payment of the enhanced amount of Dearness Allowance sanctioned vide these orders shall be made in cash w.e.f. 1st August 2017 (payment of August, 2017 is due on 1st September 2017). Such officer/ employee, whose PF account has not been opened, arrear amount payable shall be given in the form of National Savings Certificate (NSC), but that portion of the amount for which certificate is not available, may be given in cash.

12. Amount equivalent to 10% of the arrear amount of Dearness Allowance payable to the employees covered under National Pension Scheme will be credited in Tear-1 pension account of the employees and equivalent contribution by the State Government/ Employer shall be credited in Tear-1 pension account. The remaining 90% amount of arrear shall be given to the concerned employees in the form of National Savings Certificate (NSC) or credited in their PPF.

10. As per the orders contained in GO No. Gl-4-12/X-97-500(1)/97 dated 07.10.1997, prescribed seal should be affixed on the bill/schedule/challan in respect of the arrear amount of Dearness Allowance being credited in the GPF account.

12. Payment of full amount of arrears of Dearness Allowance shall be made in cash to those officers/employees, whose services have been terminated before the issue of this order or who have retired on attaining the age of superannuation from 1st January 2017 to the date of issue of the GO or who are due to retire within next six months.

Yours faithfully,
(Ajay Agrawal)
Secretary

No.P.C.1-1050(1)/X-2013, even dated

Copy forwarded to the following for information and necessary action

1. Accountant General (A&E), I & II and (Audit)- I&II, UP, Allahabad
2. All Principal Secretaries/ Secretaries, Govt. of UP